हरिभूमि
मालवा भूमि फ्रंट पेज
भोपाल, बुधवार 3 जुलाई 2024

04 ठेकेदार के हौसले बुलंद: बोला, कोई भी कुछ छापे...

07 न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय...

खबर संक्षेप में

मानसून अवधि में रेत उत्खनन प्रतिबंधित

नलखेड़ा। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह द्वारा जिले में मानसून अवधि 30 जून से 1 अक्टूबर के मध्य रेत खदानों से उत्खनन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनरों की नियुक्ति

नलखेड़ा। मप्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के लिए फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। मतदाता सूची 1 जनवरी 2024 की संदर्भ तारीख के आधार पर बनाई जाएगी। मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण संबंधी गतिविधियों के लिए अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनरों की नियुक्ति की गई है। जारी आदेशानुसार प्राध्यापक, शासकीय नेहरू महाविद्यालय सुशील कटारिया, डीपीसी जिला शिक्षा केन्द्र रजनीश स्वर्णकार, उच्च माध्यमिक शिक्षक उमावि सुसनेर ईरफान खान को मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया है। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समय-समय पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण एवं अन्य निर्वाचन संबंधित गतिविधियों के संबंध में अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

गैर स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को बैठाया जा रहा

स्कूल प्रारंभ होते ही शासन के नियमों की उड़ने लगी धज्जियां

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नलखेड़ा

विकासखंड में वर्षों से शिक्षा माफिया शासन के नियमों व कानूनों की धज्जियां उड़ाकर अपनी इच्छानुसार निजी स्कूलों का संचालन व स्कूली वाहनों का संचालन करते आ रहे हैं। जिनके खिलाफ आज तक कोई पुख्ता कार्यवाहीं नहीं होने से इनके हौसले बुलंद हैं। यही कारण है कि स्कूल खुलते ही निजी स्कूल संचालक स्कूल वाहनों के संचालन में शासन के नियमों व कानून की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं।

शासन द्वारा स्कूल वाहनों के संचालन के लिए अलग से नियम कानून बना रखे है। जिनमे सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि स्कूल वाहनों का रंग पीला होना चाहिए। साथ ही स्कूल वाहनों में किसी भी स्थिति में क्षमता से अधिक बच्चे नही होना चाहिए, बच्चों के स्कूल बैग रखने के लिए वाहन में अंदर पर्याप्त स्थान होना अनिवार्य है। लेकिन नया शिक्षा सत्र प्रारम्भ होते ही विकासखंड में उक्त नियमों की स्कूल संचालक धज्जियां उड़ा रहे है। पीले रंग के स्थान पर अन्य रंगों के वाहनों से बच्चों को स्कूल लाया व ले जाया जा रहा है। इन वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चें बैठाए जा रहे है। कई वाहनों में तो ऐसा लगता है कि बच्चों को ठूस ठूस कर भर रखा है। इन बच्चों के स्कूली बैग वाहन के अंदर नहीं रखते हुए उन्हें वाहनों की छत पर रखा जा रहा है। शासन द्वारा नौनिहालों की सुरक्षा के लिए स्कूल वाहन संचालन के लिए कई नियम व कानून तो बना दिये है लेकिन स्थानीय विकासखंड में आज तक इनका अक्षरशः पालन करवाने में शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग असफल रहा है। यहाँ शिक्षा माफियाओं के नियम व कानून ही अब तक चलते आ रहे है।

नए शिक्षा सत्र के प्रारम्भ होने के पूर्व मप्र सरकार निजी स्कूलों के संचालन को शासन के नियमो के अनुसार करवाने में सख्ती करती तो दिखाई दे रही थी लेकिन देखना होगा कि स्थानीय स्तर पर शिक्षा विभाग सहित प्रशासन कितनी सख्ती से शासन के नियमों का पालन करवा पाता है ? प्रशासन को नोनिहालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल वाहनों का संचालन शासन के नियमों के अनुसार करवाना चाहिए।

इनका कहना है

स्कूली वाहनों की जांच करवाई जाएगी। यदि गैर स्कूली वाहन संचालित होते पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ वैद्यानिक कार्रवाई की जाएगी।

-दिनेश त्रिवेदी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी नलखेड़ा

जिला जेल निरीक्षण सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

'पंच-ज' अभियान अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नलखेड़ा

मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश रविंद्र सिंह के निर्देशन में जिला जेल आगर-मालवा में गत दिवस जिला जेल निरीक्षण सह विधिक जागरूकता शिविर एवं पंच-ज अभियान अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में जिला न्यायाधीश द्वारा पंच-ज अभियान अंतर्गत पौधारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों की विशेष रूप से देखभाल करने हेतु सभी को निर्देशित कर पौधारोपण का सकारात्मक संदेश दिया।

इस अवसर पर उनके द्वारा लागू होने वाली नवीन दाण्डिक विधियों के संबंध में जानकारी दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वरुण कुमार शर्मा द्वारा बंदियों को जमानत संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की जानकारी दी। जिला विधिक सहायता अधिकारी पूनम तिवारी द्वारा बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता, वैकल्पिक विवाद, समाधान तकनीक मध्यस्थ, प्ली बारगेनिंग, मध्यस्थ, बंदियों के अधिकारों के बारे में बताया साथ ही 05 जून से 15 अगस्त तक चलाए जा रहे विशेष पौधारोपण अभियान की जानकारी दी, साथ ही बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता हेतु कार्यालय में संपर्क करने की बात कही। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश अमर कुमार शर्मा, जिला न्यायाधीश मधुसूदन जंघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानी शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आगर वरुण कुमार शर्मा, न्यायाधीश मजिस्ट्रेट हेमंत मेहरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भुपेन्द्र सिंह कुशवाह, जिला विधिक सहायता अधिकारी पुनम तिवारी एवं जेल अधीक्षक जीएल औसारी, उप अधीक्षक हीरालाल परमार एवं जेल स्टॉप उपस्थित रहा।

लसुल्डिया केलवा के किसानों ने जनसुनवाई में दिया आवेदन

पुलिया निर्माण नहीं होने से खेतों में भरा रहता है पानी

नलखेड़ा। जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई में नलखेड़ा तहसील के ग्राम लसुल्डिया केलवा के रूपचन्द्र व अन्य तीन कृषकों ने आवेदन देकर पुलिया निर्माण नहीं होने से खेतों में पानी भरने के संबंध में अवगत करवाया। आवेदकों ने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में निर्मित सड़क पर पुलिया का निर्माण की जगह दो सीमेंट के पाईप लगाएं गए है, जिससे बारिश के समय क्षेत्र के अन्य किसानों के खेतों से आने वाले पानी की निकासी नहीं हो पाती है, और पानी वहीं जमा होकर हम किसानों के खेतों में भर जाता है, जिससे फसलें पूरी तरह खराब होने पर आर्थिक नुकसानी का सामना करना पड़ता है। पुलिया का निर्माण करवाया जाए। मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत हरसिमरनप्रीत कौर, अपर कलेक्टर आरपी वर्मा द्वारा जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में कुल 135 आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर किरण बरवडे सहित सभी विभाग प्रमुख उपस्थित रहे।

जनसुनवाई में सौरमबाई निवासी पुरा साहब नगर ने पशु प्रजनन प्रक्षेत्र आगर से कार्य से हटा देने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदिका ने बताया कि वह कई दिनों से पशु प्रजनन क्षेत्र आगर में अन्य मजदूरों के साथ ही दैनिक मजदूरी कर रही है, किन्तु अधिकारियों द्वारा बिना किसी कारण के बंद कर दिया गया है, कोरोना काल के दौरान भी दैनिक मजदूरी से बंद कर दिया था, उसके बाद पुनः लगाकर अब फिर कार्य से हटा दिया गया है। जिससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुनः काम पर रखवाया जाए, जिससे परिवार का पालन-पोषण करने में मदद मिल सकें। एक अन्य आवेदक सुनील सूर्यवंशी ने दैनिक मजदूरी का भुगतान करवाने हेतु आवेदन देकर बताया कि उसके द्वारा एक शासकीय विभाग में चार माह कार्य किया गया था, किन्तु संबंधित द्वारा 20 दिन की मजदूरी का भुगतान किया गया हैं, शेष दिनों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सीईओ जिला पंचायत श्रीमती कौर ने दोनों आवेदकों के आवेदन श्रम पदाधिकारी को जांच कर निराकरण करने हेतु निर्देशित किया।

आवेदक गोकुलसिंह निवासी सेमली ने मुआवजा राशि प्रदान करवाने, मानखां निवासी बास्या ने सीमांकन आदेश के उपरान्त भी भूमि का सीमांकन नहीं होने पर सीमांकन करवाने, कैलाश निवासी धरोला ने उसकी निजी भूमि पर अनावेदक कृषक द्वारा खोदी गई नाली (पानी टाला) बुरवाने सहित शासकीय गौचर भूमि से अतिक्रमण हटवाने, रास्ता खुलवाने आदि से संबंधित आवेदन जनसुनवाई मे प्राप्त हुए।

लालच या दबाव में आकर कोर्ट में नहीं बदला जा सकेगा पुलिस को दिया बयान

कानड़। सोमवार को जनसंवाद के दौरान कानड़ थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह देवड़ा ने नया भारत नया विधान के अंतर्गत नए क़ानून की जानकारी लोगों के साथ साझा की। जहां नई व्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से अब एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। पुलिस के सामने बयान दर्ज कराने के बाद कोर्ट में गवाह अपने बयान नहीं बदल सकता। घटना स्थल की वीडियो ग्राफी होने के बाद जांच में पारदर्शिता रहेगी। सोमवार को तीनों कानून के प्रावधानों और नियमों की बिंदुवार जानकारी नगरवासियों को टीआई लक्ष्मण सिंह देवड़ा ने थाना परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान बताया। डीएसपी रघुनाथसिंह खातारकर, मेडिकल ऑफिसर डॉ दिव्यांक सोनी, एसआई कैलाश सोनानिया, एस आई रघुनाथ सिंह कटारे, एएसआई नारायण सिंह सोलंकी आदि उपस्थित थे।

नया भारत नया विधान अंतर्गत नए कानून की थाना प्रभारी ने दी जानकारी

नगरवासियों ओर ग्रामीणों को टीआई ने जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा पिछले वर्ष संसद में अंग्रेजों के कानून में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसे 1जुलाई से देश भर में लागू कर दिया गया है। जिसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में जाना जाएगा। पहले कानून की 511 धाराएं भारतीय दण्ड विधान में भी जिसे अब 358 कर दिया गया हैं। हत्या की धारा 302 हुआ करती थी जिसे अब 103(1) किया गया है। ऐसे ही सभी अपराधों की धाराओं में संशोधन हुआ है। नया कानून पीड़ित के न्याय का कानून होगा। इस दौरान दिनेश बीजापारी (अंकल), संतोष बैरागी, दयाराम खजुरिया, राजेश आर्य, अंकुर शिंदे,गौरीशंकर सूर्यवंशी, विजय कुमार पाठक, दारासिंह आर्य, दिनेश बरेठा, संदीप जैन, एसजे हुसैन, शाकिब हुसैन, दिनेश राठोर, कमल सिंह आदि उपस्थित थे।

प्रतिदिन पहुंच रहे सैकड़ों पर्यटक

प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण त्रिवेणी संगम पर सुरक्षा की दरकार

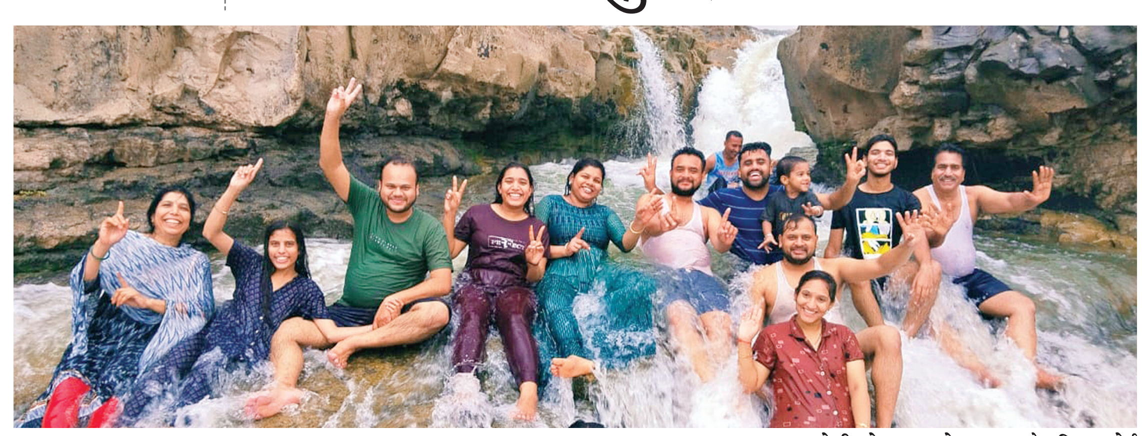

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नलखेड़ा

तहसील क्षेत्र के ग्राम ताखला में स्थित त्रिवेणी संगम पर लखुंदर नदी में ऊंचाई से गिरते झरने में प्रतिदिन सैकड़ों पर्यटक पहुंचने लगे हैं। वर्षाकाल व नदी में अचानक पानी का स्तर बढ़ जाने की संभावनाओं को लेकर प्रशासन द्वारा उक्त स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए।

क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं उपलब्ध है। ऐसा ही एक स्थान ग्राम ताखला में प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है जहाँ तीन नदियों कालीसिंध, लखुंदर व भाटन नदी का संगम है। इस संगम स्थल पर लखुंदर नदी में एक ऐसा स्थान है जहाँ ऊंचाई से पानी गिरता रहता है जोकि झरने का स्वरूप बन जाता है। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ो पर्यटक पहुंचकर झरने का आनंद ले रहे है।

अब चूंकि वर्षाकाल प्रारम्भ हो चुका है। झमाझम वर्षा के चलते कभी भी नदी का जल स्तर बढ़ सकता है। ऐसे में बढे हुवे जल स्तर में कई पर्यटक नदी के तेज बहाव में नही उतरे इसके लिए उक्त स्थल पर सुरक्षा आवश्यक हो गई है। दूसरी ओर वर्तमान में जब कि जल स्तर कम है लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने पर यदि किसी समय कोई अनहोनी हो जाए तो बचाव के लिए कोई व्यवस्था नही है। इसके लिए प्रशासन को त्रिवेणी संगम पर तैराकों की व्यवस्था की जाना चाहिए। ताकि किसी अनहोनी के समय तत्काल पर्यटक को बचाया जा सके। इसके साथ ही त्रिवेणी संगम पर झरने का आनंद लेने पहुंचने वाले पर्यटकों में कई महिलाएं भी शामिल रहती है। इन महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की छेड़ खानी की घटना नही हो इसके लिए भी उक्त स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य हो गई है।

क्षेत्र के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल त्रिवेणी संगम जोकि वर्तमान में क्षेत्र के नागरिकों के साथ ही विभिन्न स्थानों से मां बगलामुखी मंदिर पहुंचने वाले दर्शनार्थियों के लिए खासा लोकप्रिय हो चुका है। ऐसे स्थल पर प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर इसे पर्यटकों के लिए सुरक्षित भी बना सकता है। इसके लिए प्रशासन को तत्काल आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

सीईओ जिपं ने नलखेड़ा ब्लॉक में किया जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्यों का निरीक्षण

आंगनवाड़ी भवन का फीता काटकर शुभारंभ किया

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नलखेड़ा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरसिमरनप्रीत कौर द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र सेमलखेड़ी एवं ग्राम मनासा की आंगनवाड़ी का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सीईओ कौर द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र पर सेवाओं की जानकारी ली गई तथा परिसर में जीर्ण शीर्ण हो चुके अनुपयुक्त भवन को राइटअप करवाए जाने हेतु निर्देश ग्राम पंचायत के संबंधितों को दिए जाकर नव निर्मित आंगनवाड़ी भवनों का निरीक्षण परियोजना अधिकारी तंवर व सहायक यंत्री और तकनीकी दल के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाकर आवश्यक निर्देश दिए गए।

इसके पश्चात सीईओ द्वारा मनरेगा व अन्य योजनाओं से जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यो का निरीक्षण किया गया। ग्राम पंचायत लोलकी में तालाब जीर्णोद्धार कार्य एवं चेक डेम, शांतिधाम के पास मरम्मत के निरीक्षण के दौरान तलाब जीर्णोधार में आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कृषकों से चर्चा भी की। निरीक्षण के दौरान परियोजना अधिकारी मनीष सिंह तंवर, सहायक यंत्री सौराष्ट्रीय, उपयंत्री भारती, नितेश शर्मा व ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न अमले के साथ ग्राम पंचायत के संबंधितों के साथ ही ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

गुप्त नवरात्रि: नलखेड़ा में पांडवकालीन मां बगलामुखी का मंदिर

तंत्र साधना के लिए माना जाता है आदर्श स्थान

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नलखेड़ा

सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दिनों में देवी मां के नव स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। पंचांग के मुताबिक आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ 6 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसका समापन 15 जुलाई को होगा। गुप्त नवरात्रि 9 दिन नहीं बल्कि इस बार दस दिनों की है। माता रानी के भक्त गुप्त नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा-अर्चना करते है।

नगर में पीतांबरा शक्तिपीठ मां बगलामुखी का मंदिर शक्ति एवं शक्तिमान के सम्मिलित प्रभाव से यहां पर की जाने वाली साधना आराधना अनंत गुना फल प्रदाय होती है। जब कभी शत्रु का भय हो तो बगलामुखी की साधना आराधना आराधक को फलदाई रहती है। मां की आराधना से शत्रु का स्तंभन भी होता है। नगर में स्थित बगलामुखी मंदिर में स्थापित मूर्ति महाभारत कालीन है जो कि भीम पुत्र बर्बरीक द्वारा स्थापित की गई थी। मां बगलामुखी का वर्णन काली पुराण में मिलता है। यहां पर पांडवों ने भगवान कृष्ण के कहने पर मां की आराधना कर विजयश्री का वरदान प्राप्त किया था। वर्ष की चारों नवरात्रि के दौरान इस मंदिर पर हजारों की संख्या में भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है।

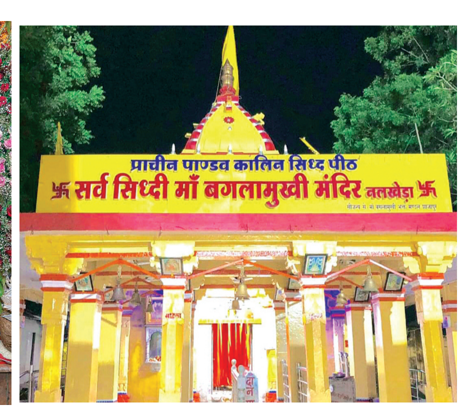

आगर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर नलखेड़ा में पीतांबरा सिद्धपीठ मां बगलामुखी का मंदिर है, जहां त्रिशक्ति मां विराजित हैं बीच में मां बगलामुखी, दाएं मां लक्ष्मी तथा बाएं मां सरस्वती विराजमान हैं। मां का यह मंदिर अति प्राचीन होकर इसके चारों ओर श्मशान स्थित है। इसीलिए यह मंदिर तांत्रिक क्रियाओं व हवन-अनुष्ठान के लिए विशेष महत्व रखता है। यही कारण है कि यहां पर राजनेता, अभिनेता के साथ प्रशासनिक स्तर की हस्तियां व आमजन अपनी मनोकामना को लेकर पहुंचते हैं। मां बगलामुखी माता को पीले रंग की वस्तु अतिप्रिय है इसलिए उन्हें पीतांबरा मां भी कहा जाता है। मंदिर आहते में काल भैरव की प्रतिमा स्थापित है जो उज्जैन स्थित काल भैरव के समान मध्यपान का सेवन करती है। मंदिर के अहाते में वीर हनुमान, राधा-कृष्ण व महाकाल बाबा का मंदिर भी स्थित है। इस मंदिर पर नवरात्रि के साथ ही अन्य दिनों पर भी निःसंतान दंपती संतान की कामना को लेकर मंदिर में पहुंचते हैं जहां मां के आशीर्वाद से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है।

आषाढ़ और माघ माह में मनाई जाती है गुप्त नवरात्रि

वर्ष में चार नवरात्रि मनाई जाती है जिनमे गुप्त नवरात्रि आषाढ़ और माघ माह के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। तंत्र पूजा के लिए गुप्त नवरात्रि को खास माना जाता है। पंचांग के मुताबिक इस बार आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ 6 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसका समापन 15 जुलाई को होगा। गुप्त नवरात्रि 9 दिन नहीं बल्कि इस बार दस दिवसीय है। इस साल आषाढ़ माह में चतुर्थी तिथि की वृद्धि होने के कारण गुप्त नवरात्रि 10 दिवसीय है।

खबर संक्षेप

निर्माणाधीन कार्यालय का किया निरीक्षण

देवास। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने निर्माणाधीन कलेक्टर कार्यालय का निरीक्षण कर निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। संबंधित अधिकारी समय-समय पर निर्माण कार्य का निरीक्षण करें। कलेक्टर गुप्ता ने निर्माण ऐजेंसी को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होना चाहिए, गुणत्त्वापूर्ण निर्माण कार्य किया जाए। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि नवीन कलेक्टर कार्यालय का स्ट्रक्चर एवं सिविल वर्क 31 मार्च 2025 तक पूर्ण हो जाएगा। निरीक्षण के दौरान डिप्टी कलेक्टर अभिषेक शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। गुप्ता ने कहा कि कलेक्टर कार्यालय की बाउंड्री वॉल और गेट निर्माण का कार्य एक माह में पूर्ण कर लें। कलेक्टर कार्यालय परिसर में मियावाकी पद्धिति से पौधारोपण भी करें। कलेक्टर गुप्ता ने कहा कि कलेक्टोरेट परिसर के पीछे पुराने पेडों को सुरक्षित रखते हुए, वहां से आवागमन का रास्ता बनाये। कलेक्टोरेट परिसर में बने मंदिर को संरक्षित करें। कलेक्टर गुप्ता ने निरीक्षण के दौरान कलेक्टर कार्यालय का ले-आउट प्लान देखा, निरीक्षण के दौरान निर्देश दिये कि कलेक्टर कार्यालय में थर्ड फ्लोर का प्लान भी करें। उन्होंने निरीक्षण के दौरान पार्किंग संबंधी निर्देश दिए।

सड़क निर्माण के नाम पर अवैध तरीके से मुरम खनन कर बेची जा रही है

ठेकेदार के हौसले बुलंदः बोला, कोई भी कुछ छापे हमे कोई फर्क नहीं पड़ता

चापड़ा क्षेत्र में इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे मार्ग का चल रहा निर्माण कार्य, सड़क का बेस तैयार करने पड़ रही मुर्र्म की जरूरत

हरिभूमि न्यूज ⏭ चापडा

ठेकेदार एवं संबंधित विभाग कि सांठगांठ के चलते मुर्र्म का अवैध व्यापार धड़ल्ले से ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। अवैध खनन से सरकार को रॉयल्टी का चूना लगा कर ठेकेदार द्वारा लाखों रुपए कमाए जा रहे है। इन दिनों चापड़ा क्षेत्र में इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें सड़क का बेस तैयार करने के लिए मुर्र्म की जरूरत पड़ रही है। इसलिए राजस्व विभाग बागली की रिपोर्ट पर खनिज विभाग देवास द्वारा ठेकेदार को क्षेत्र में शासकीय भूमि चिन्हित कर मुर्र्म खनन की अनुमति दी गई है। हालांकि अनुमति में कितने क्षेत्र में मुर्र्म खनन किया जाना है यह नहीं बताया गया है। उक्त निर्माण कार्य श्रीजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस कंपनी द्वारा अलग-अलग भागों में छोटे ठेकेदारों को ठेका दिया गया है। साथ ही मुर्र्म खनन का काम भी अलग अलग व्यक्ति को दिया गया हैं। चापड़ा के इंदौर रोड पर गुराडिया कला फाटे पर खनिज विभाग द्वारा शासकीय भूमि चिन्हित कर मुरम खनन के लिए भूमि दी गई है। जहां पर बड़े पैमाने पर विगत कई दिनों से ठेकेदार द्वारा मुर्र्म खनन का कार्य किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा इस दौरान अवैध रूप से निजी तौर पर मुर्र्म बेची जा रही है। जानकारी अनुसार मुर्र्म का उपयोग सड़क निर्माण में ही किया जाना है। मुर्र्म को ठेकेदार निजी तौर पर किसी भी व्यक्ति को नहीं बेच सकता है, इसके बावजूद भी ठेकेदार द्वारा रात्रि में बड़े पैमाने पर निजी तौर पर मुर्र्म बेची जा रही है। बताया जा रहा है कि रात्रि के समय में एक डंपर 3000 से 3500 रू प्रति डंपर के हिसाब से दिया जा रहा है और 300 रुपये ट्रैक्टर ट्राली भरी जा रही है। ठेकेदार इन दोनों क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मुरम बेच चुका है। ठेकेदार सरकार को राजस्व का चुना लगाकर अपनी जेब भर रहा है।

हमें नहीं पडता फर्क

कोई कुछ भी छापे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुर्र्म बेचने की बात है तो अधिकारी गाड़ी पकड़ ले,नियम अनुसार काम हो रहा है।

अर्जुन गुर्जर, मुर्र्म सप्लायर

करेंगे जांच, होगी कार्रवाई

मेरी जानकारी में यह मामला नहीं है में इसे दिखवाता हूं, यदि ऐसा हुआ है तो गलत है, यदि जांच में मामला सही पाया जाता है, तो उक्त ठेकेदार का काम बंद करवा दिया जाएगा

योगेश तोमर, प्रोजेक्टर मेनेजर श्रीजी कंपनी

सुपर मार्केट की दुकानों में घुस रहा सीवरेज का गंदा पानी

सीएम हेल्पलाइन शिकायत बिना निराकरण की बंद

हरिभूमि न्यूज ⏭ देवास

सीवरेज का गंदा पानी दुकानों में घुसने से सुपर मार्केट के व्यवसायी विगत चार माह से परेशान हो रहे है। नगर निगम, स्थानीय पार्षद से शिकायत के बाद भी स्थाई निराकरण नहीं हो पा रहा है। जिससे दुकानदारों का व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है एवं गंभीर बीमारी भी फैल रही है। सुपर मार्केट व्यापारिक सामाजिक कल्याण समिति के बैनर तले सुपर मार्केट के व्यवसायी मंगलवार को अपनी समस्या को लेकर जनसुनवाई में आवेदन लेकर पहुंचे।

व्यापारियों ने बताया कि यह मार्केट सिर्फ कहने को ही सुपर मार्केट है, लेकिन यह की व्यवस्था से ऐसा लगता है कि पूरे शहर की गंदगी का साम्राज्य सिर्फ इसी मार्केट में है। सुपर मार्केट एल-ब्लॉक की दुकानों में ऊपर के रहवासियों के मकानों का मेला सीवरेज लाईन का गंदा पानी मार्केट में बीचोबीच बह रहा है। यहां तक दुकानों के अंदर से गंदा पानी बाहर रहा है। जिससे व्यवसायियों को भयंकर बदबू के साथ गंभीर बीमारियों का सामना भी करना पड रहा है।

वहीं व्यापार-व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। व्यापारी बदबूदार माहौल में अपना व्यापार करने को मजबूर है। कई ग्राहक इस गंदे मलमूत्र के पानी से होकर गुजरते हैं एवं उनके द्वारा जूते-चप्पल में गंदगी हमारे व्यवसायिक स्थल में प्रवेश हो जाती है जो कि अत्यन्त असहनीय स्थिति है। व्यापारियों ने इसकी शिकायत तीन माह पूर्व सी.एम. हेल्पलाइन 181 पर भी की। लेकिन वहाँ से भी सुनवाई तथा संतोषजनक उत्तर प्राप्त नही हो सका। निराकरण किए बिना ही शिकायत अपने आप बंद हो जाती है। व्यापारियों ने इसकी शिकायत कलेक्टर के साथ निगम आयुक्त, प्राधिकरण कार्यालय में भी आवेदन देकर की है। साथ ही इसकी मौखिक जानकारी महापौर एवं सभापति को भी दी। इस दौरान बडी संख्या में व्यापारी उपस्थित थे।

नवभारत साक्षरता कार्यक्रम का एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

हरिभूमि न्यूज ⏭ बागली

नवीन शिक्षा सत्र में नौनिहालों से लगाकर पौढ तक की शिक्षा गुणवत्ता पूर्ण हो तथा शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी योजनाओं का हितग्राहियों को शत प्रतिशत लाभ पहुचाए जाए।

उक्त निर्देश जिलाधीश के आदेशानुसार स्थानीय जनपद पंचायत में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,बी आर सी, ब्लाक समन्वयक, संकुल प्राचार्य,जनशिक्षक तथा संकुल सहसमन्वयको की आयोजित एक दिवसीय बैठक सह प्रशिक्षण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आनंद मालवीया ने दिए। आयोजित हुई बैठक में सबसे पहले उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम का सभी को प्रशिक्षण संकुल सह समन्वयक वारिस अली ने प्रदान करते हुए असाक्षरों के सर्वे और पंजीयन के साथ सामाजिक चेतना केंद्र अक्षर साथी की मदद से सतत संचालित करने की अपील की। ब्लाक समन्वयक सुभाष मालवीय ने कार्यक्रम में गति लाने के लिए सभी से अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करने की अपील की तथा समय-समय पर नोडल अधिकारियों को निर्देशित करने को कहा। जनपद पंचायत सीईओ राजीव मेढा की अध्यक्षता तथा विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वय एन एस भंडोले व एन पी सिंह तथा बीआरसी कय्युम खान, सहायक बीआरसी बहादुर बदुरीया की उपस्थिति में एफएलएन, पौधारोपण, पुस्तक वितरण, मध्यान्ह भोजन,वाटर हार्वेस्टिंग,बाढ आपदा आदि के सन्दर्भ में अधिकारियो ने बारी-बारी से निर्देश दिए। उपस्थित शिक्षक साथियों की वित्तीय समस्याओं पर भी भंडोले के द्वारा विस्तार से जानकारी प्रदान की। नवीन शैक्षणिक सत्र की शुभकामनाओं के साथ बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर विकास खंड के समस्त संकुल प्राचार्य, जनशिक्षक, संकुल सहसमन्वयक आदि उपस्थित रहे। उक्त जानकारी शीला राठौर ने दी ।

कालोनी की विभिन्न समस्याओं को लेकर दूसरी बार जनसुनवाई में पहुंचे साईं धाम कालोनीवासी

देवास। साईं धाम (साईं सिटी) के रहवासी कॉलोनी में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को चालू करवाने एवं नगर निगम द्वारा नल-जल योजना चालू कर शीघ्र जल प्रदाय किए जाने को लेकर विगत सप्ताह जनसुनवाई में कलेक्टर के पास आवेदन लेकर पहुंचे थे, जहां निगम के संबंधित अधिकारी को त्वरित निराकरण के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन आज दिनांक तक कालोनी की उत्पन्न समस्या का निराकरण नही हो पाया है। अशोक सोनी ने बताया कि मंगलवार को पुनः कालोनीवासी विभिन्न जन समस्या के शीघ्र निराकरण को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे और मांग पत्र सौंपते हुए बताया कि कालोनी में काफी समय से स्ट्रीटलाईट बंद है। नल-जल योजना आज तक हमारी कालोनी में चालू नहीं की गई है। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। कालोनी की स्ट्रीट लाईटे बंद होने से रात के समय हमारी कालोनी में सडक़ पर अंधेरा पसरा रहता है, जिससे दुर्घटना होने के साथ अन्य जहरीले जीव-जंतु सांप आदि घरों में घूसने का डर लगा रहता है। साथ ही अन्य समस्या उत्पन्न होगी। अंधेरा होने से रात्रि में परिवार के लोगों पर जान का खतरा भी बना रहता है। कालोनीवासियों ने लगातार दूसरी बार कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को समस्या से अवगत कराया है। जहां कलेक्टर ने त्वरित निराकरण के लिए निगम के संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। इस दौरान संदीप पांचाल, रवि प्रजापत, हेमन्त पटेल, सुभाष पटेल, रजनीश पटेल, संजय गिरी, मोहित पाठक, अंकीत पिछानिया, पिंटू मालवीय, रवि तिवारी, गणेश प्रजापति, संतोष योगी, बनेसिंह, वीरेन्द्र जायसवाल, सुधीर पाठक, मुकेश पटेल सहित कालोनीवासी उपस्थित थे।

लोकसभा में दिए गए बयान को लेकर संस्था राम-राम ने फूंका राहुल गांधी का पुतला, जताया विरोध

हरिभूमि न्यूज ⏭ देवास

राहुल गांधी के लोकसभा में दिए विवादित बयान को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए पूतला दहन किया गया। संस्था राम-राम के सदस्यों ने सयाजी द्वार पर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सनातन धर्म का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाए। राहुल गांधी का पूतला फूंकते हुए मांफी मांगने की बात कहीं।

संस्था पदाधिकारियों ने कहा कि हिंदू विरोधी मानसिकता के चलते राहुल गांधी को भारत छोड देना चाहिए। राहुल गांधी का लोकसभा में दिया गया बयान निंदनीय है। उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बताया है। उन्हें पता होना चाहिए कि हिंदू अहिंसा का पालन करते हैं। हिंदू धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हिंदू धर्म और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए जो कृत्य किया जा रहा है। वह बहुत ही शर्मनाक है। ऐसे में राहुल गांधी को हिंदू विरोधी मानसिकता को छोडक़र माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान राजेश यादव, शैलेंद्र सिंह पाँवर (भाईसाहब), निलेश वर्मा, नीरज वर्मा, भूपेश ठाकुर पार्षद, गोपाल खत्री, शुभम जाधव, सुरेंद्र परिहार, शुभम चौहान, आनंद कहार, कुणाल बैरागी आदि उपस्थित थे।

न्यायाधीश के प्रथम आगमन पर किया सम्मान

हरिभूमि न्यूज ⏭ देवास

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्र के आगमन पर जिला अभिभाषक संघ देवास द्वारा न्यायालय में स्थित संघ सभाकक्ष में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। संघ अध्यक्ष अशोक वर्मा ने बताया कि सेवानिवृत्त हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुसूदन मिश्र के स्थान पर अजय प्रकाश मिश्र ने अपना पद्भार संभाला। मिश्र के आगमन पर समारोह आयोजित कर उनका पुष्पमाला एवं पुष्पगुच्छ से स्वागत सम्मान किया।

अध्यक्ष वर्मा ने कहा कि देवास न्यायालय में अब तक जितने भी न्यायाधीश आए है उन सभी का कार्यकाल उत्कृष्ट रहा है। सभी न्यायाधीशों ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर अभिभाषकों का अपना मार्गदर्शन प्रदान किया है। जिससे आज तक देवास से विदा हुए सभी न्यायाधीश देवास में किए अपने कार्यकाल को अब भी याद करते है। नवीन न्यायाधीश मिश्र ने कहा कि आप अभिभाषकों के सहयोग से ही न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से चलेगा। मुझे आशा है कि अन्य स्थान पर सम्पन्न हुए मेरे कार्यकाल से अच्छा कार्यकाल देवास का रहेगा। मिश्र ने उक्त आयोजन की सराहना कर अभिभाषक संघ को बधाई दी। इस अवसर पर उपाध्यक्ष पंकज पड्या, उपाध्यक्ष (महिला) गीता शर्मा, सचिव अतुल कुमार पंड्या, सहसचिव जितेन्द्र सिंह ठाकुर, कोषाध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह तोमर, पुस्तकालय सचिव श्वेतांक राज शुक्ला सहित बडी संख्या में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित थे। संचालन अधिवक्ता रघुवीर यार्दी एवं आभार संघ उपाध्यक्ष पंकज पंड्या ने माना।

भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध संघटनों ने संपर्क एप पर कार्य करने पर जताया विरोध

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका संघ ने रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन

हरिभूमि न्यूज ⏭ देवास

सोमवार को सम्पर्क एप पर कार्य करने के विरोध में भारतीय मजदूर संघ से संबंद्ध मप्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका मिनी संघ ने 1 जुलाई को प्रदर्शन व रैली निकालते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मप्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका मिनी संघ की जिला प्रभारी रामू जमोडिया ने बताया कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रातःः 11 बजे भोपाल चौराहा स्थित शिवाजी पार्क में स्थित हुई, जहां जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आंदोलन को विभाग प्रमुख अजय उपाध्याय, विभाग सब प्रमुख राजू लोधी, मप्र कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ प्रदेश महामंत्री लोकेश विजयवर्गीय, श्रमिक संगठन प्रधानमंत्री महेंद्र सिंह परिहार व रामू जमोडिया ने किया। तत्पश्चात रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार सपना शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सम्पर्क एप पर कार्य करते हैं तो दो ऐप पर एक साथ कार्य करना पड़ेगा, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का कार्य बहुत अधिक बढ़ जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संपर्क एप पर उपस्थित एवं अन्य दैनिक गतिविधियों दर्ज करने के लिए कहा जा रहा है। इसके पूर्व ही केन्द्र सरकार के यह पोषण ट्रैक्टर पर उपस्थित और अन्य दैनिक गतिविधियों का दर्ज कराई जा रही है। संपर्क ऐप चलाने पर एक साथ एक ही गतिविधियों को दो-दो बार एप पर दर्ज करना पड़ेगी। जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका मिनी संघ कार्यकर्ताओं को बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है। उसमें भी किसी न किसी कारण से मानदेय में कटौती की जा रही है आदि अन्य मांगे शामिल है। इस दौरान सविता परमार, ललीता राठौर, दीपिका शेखावत, रचना सिसोदिया, अर्चना जोशी, भूरी जामले, दुर्गा जायसवाल, सोना सोलंकी, कला भडाल, ब्रजबाला शर्मा, रेखा मालवी, ललिता शिंदे, अनिता बीसाखेडी, संगीता वर्मा, रेखा भारती, कविता सोलंकी, आशा बिजवा, रुक्मणी सहित बडी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका मिनी संघ कार्यकर्ता उपस्थित थी। संचालन सविता परमार ने किया।

सेवानिवृत होने पर मालवीया को स्टाफ ने दी विदाई

हरिभूमि न्यूज ⏭ चापडा

पीएचई विभाग कार्यालय बागली में कार्यरत हैंडपंप टेक्नीशियन गिरधारी लाल मालवीया के सेवानिवृत होने पर सोमवार के दिन पीएचई विभाग कार्यालय बागली पर एसडीओ हेमंत सेंठी की उपस्थिति में विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्टाफ की ओर से मालवीया का साफा बांधकर चित्र भेंट कर अभिनंदन किया गया। हेमंत सेठी ने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान मालवीया द्वारा क्षेत्र में हैंडपंप टेक्नीशियन के रूप में जो सेवाए दी हैं वो सराहनीय है। इस दौरान पीएचई कार्यालय का पूरा स्टाफ उपस्थित रहा।

खबर संक्षेप

डॉक्टर्स डे पर किया डॉक्टरों का सम्मान

आष्टा। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष में इनर व्हील क्लब आष्टा द्वारा सिविल अस्पताल में जाकर सभी डॉक्टर का सम्मान किया गया। जिसमें डॉक्टर जीडी सोनी, डॉ अर्चना सोनी मैडम व डॉ अतुल उपाध्याय सहित सभी डॉक्टर मौजूद थे। इनरवियर क्लब के मेंबर्स अध्यक्ष रीना शर्मा, सचिव सुनीता सोनी, उपाध्यक्ष संगीता सोनी, कोषाध्यक्ष आशा सोनी, एडिटर श्रद्धा पालीवाल व क्लब के अन्य सदस्य पदमा कासलीवाल, विद्या खंडेलवाल चंदा बोहरा, जयश्री शर्मा, दीपिका सोनी आदि सभी मेंबर्स मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन मंदाकिनी कासलीवाल ने किया। कार्यक्रम में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल आस्था के बच्चे भी मौजूद थे। जिन्होंने भी डॉक्टरों का डॉक्टर डे पर सम्मान किया।

करंट लगने से बाइक चालक की हुई मौत

श्यामपुर। बाइक पर जा रहा युवक अचानक जमीन पर पड़े बिजली के तारों की चपेट में आ गया इस कारण युवक की करंट लगने से मौत हो गई। वही परिजनों ने बिजली कंपनी पर आरोप लगाते हुए जक्का जाम करने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार शाबाश खा आत्मज शब्बीर खान उम्र 20 वर्ष निवासी इंमलिया टपपर श्यामपुर बस स्टैंड से अंदर गांव में मोटरसाइकिल से जा रहा था। शमशान के सामने कुए वाली लाइन के तार टूटकर सड़क पर गिर गया। इसकी चपेट में आकर मोटरसाइकिल सहित शाबाश नीचे गिर गया और वहा तार में फैले करंट की चपेट में आ गया। इस कारण मोटरसायकल चाकल की मौके पर ही मौत हो गई। से स्पॉट पर मृत्यु हो गई पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। इसके पश्चात परिजनों व अन्य लोगों द्वारा शव को हाईवे पर रख कर चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें एमपीईबी के अधिकारियों व पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा आर्थिक मदद की समझाइए दी गई इसके बाद शव को दफन करने के लिए अपने गांव लेकर चले गए।

नवीन अपराधिक अधिनियम के प्रचार प्रसार को लेकर आयोजित किए गए कार्यक्रम

न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू, पुलिस ने जनता को बताए नए नियम

जिले भर में न्याय संहिता, भारतीय, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की दी गई जानकारी।

हरिभूमि न्यूज ⏭ सिद्धिगंज/जावर/श्यामपुर/दोराहा

पुलिस अधीक्षक सीहोर मंयक अवस्थी द्वारा जिले में नवीन अपराधिक अधिनियम के सफल क्रियान्यवयन हेतु निर्देश दिए गए है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर गीतेश गर्ग और आकाश अमलकर एसडीओपी के मार्गदर्शन में थाना जावर पुलिस द्वारा नवीन अपराधिक अधिनियम के प्रचार प्रसार करने मे सफलता पुर्वक कार्यक्रम आयोजित किया गया। थाना जावर पर एक जुलाई को नवीन अपराधिक अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रचार प्रसार कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमे थाना प्रभारी थाना जावर रामनारायण मालवीय सहित थाना जावर के गणमान्य नागरिक दिनेशचन्द्र बाहेती,ओमप्रकाश दुबै, अकबर सिद्दीकी, बाबुलाल पटेल, कल्याण सिह ठाकुर, मण्डल अध्यक्ष राजेन्द्र कैशव, जयसिह ठाकुर, कमल सिह पहलवान, अरविंद सिह ठाकुर, शेलेन्द्र ठाकुर, सभी ग्राम सरंपच,सभी ग्राम चौकीदार, और सीएम राईज स्कुल के शिक्षक व छात्र छात्राए, प्रिंस पब्लिक स्कुल के शिक्षक व छात्र छात्राए, नालंदा पब्लिक स्कुल के शिक्षक व छात्र छात्राएं, सरस्वती स्कूल के शिक्षक व छात्र छात्राए,व पत्रकार गण,थाना स्टाफ,व अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। थाना प्रभारी जावर रामनारायण मालवीय, डोडी चौकी प्रभारी राजु मखोड,व अन्य गणमान्य नागरिको द्वारा आम जनो व स्कुल के छात्र छात्राओ को नवीन अपराधिक अधिनियम भारतीय न्याय संहिता 2023 व भारतीय नागरिक सूरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रचार प्रसार के संबंध मे पुराने कानुन के स्थान पर अब नये कानून व भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने के संबंध मे जानकारी दी गई। कुछ महत्वपुर्ण धाराओ के स्थान पर नई लगने वाली धाराओ से अवगत कराया गया। बाद सम्पुर्ण कार्यक्रम होने उपरांत उपस्थित समस्त नागरिको द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक गाया गया । बाद कस्बा जावर मे स्कुल के छात्र छात्राओ व आम नागरिको के माध्यम से नये कानून के प्रचार प्रसार हेतु रैली का आयोजन किया गया।

श्यामपुर में भी हुए कार्यक्रम आयोजित लोगों को नए कानूनों की दी जानकारी

श्यामपुर। पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गितेश गर्ग के निर्देशन में और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सीहोर पूजा शर्मा के मार्गदर्शन में भारत में एक जुलाई से लागू होने वाले भारत के नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में आमजन में प्रचार-प्रसार के संबंध में श्यामपुर पुलिस द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर विद्यालय श्यामपुर में जनजाग्रति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक जुलाई से सम्पूर्ण भारत में नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत ही कार्रवाई की जाएगी।

नवीन कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इसी क्रम मे थाना परिसर श्यामपुर मे सम्पूर्ण थाना क्षैत्र के गणमान्य नागरिक, नगर सुरक्षा समित के सदस्य तथा पत्रकार बंधु तथा समस्त पुलिस स्टाफ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमे भी भारत में संचालित पुराने कानून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम अब तक प्रचलन में थे। और पुलिस द्वारा इन पुराने कानुनों के आधार पर ही कार्रवाई की जाती थी। एक जुलाई से सम्पूर्ण भारत में नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत किए जाने की जानकारी प्रदान की गई है। संपूर्ण कार्यक्रमों मे थाना प्रभारी संध्या मिश्रा समस्त पुलिस बल थाना श्यामपुर द्वारा नये कानूनो के संबंध जन जाग्रित कार्यक्रम को सफल बनाये जाने मे विशेष भूमिका निभाई है ।

सिद्धि गंज पुलिस ने चलाया जागृति कार्यक्रम

सिद्धिगंज। सिद्धिगंज थाना परिसर में बैठक आयोजित हुई जिसमें ग्रामीणों को नए कानून के बारे में थाना प्रभारी द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस आकाश अमलकर के मार्गदर्शन में सिद्धिगंज पुलिस के द्वारा पुलिस परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें आसपास क्षेत्र के ग्रामीण भारी संख्या में एकत्रित हुए। जिन्हें थाना प्रभारी के द्वारा नवीन कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। 2023 में संसद में जो नए कानून बनाए गए थे, वह कानून 1 जुलाई से लागू हो गया है। सिद्धिगंज थाना प्रभारी गोपिद्र सिंह राजपूत ने थाना परिसर में बैठक आयोजित की। जिसमें आसपास क्षेत्र के लोगों को बताया कि जो कानून पहले प्रचलन में थे उनके स्थान पर नए कानूनकी जानकारी देने के लिए जिला लोक अभियोजन देवेंद्र सिंह ठाकुर, एसडीओ आशीष त्रिपाठी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि जुलाई से नवीन कानून लागू हो जाएंगे। ग्राम के दीक्षा सोनू गुडवान जनपद अध्यक्ष, महेंद्र सिंह काजले सरपंच, जनपद सदस्य महेंद्र सिंह ठाकुर, सरपंच संघ के अध्यक्ष मान सिंह पटेल, भाजपा के वरिष्ठ नेता नारायण सिंह ठाकुर, उमरदड़ सरपंच अमर सिंह चौहान, गौरी शंकर वर्मा गांव के पटेल राजेंद्र सिंह ठाकुर एडवोकेट देवेंद्र सिंह ठाकुर पूर्व सरपंच शांतिलाल मंडलोई, भाजपा नेता पूर्व सरपंच लक्ष्मी नारायण वर्मा सहितक्षेत्र के लोगों को जानकारी दी गई।

अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए बाबा अमरनाथ सेवा मंडल के श्रद्धालु

हरिभूमि न्यूज ⏭ सीहोर

बाबा अमरनाथ सेवा मंडल गल्ला मंडी के तत्वावधान में सोमवार को दोपहर साढ़े तीन बजे शहर के रेलवे स्टेशन से कश्मीर स्थित प्रमुख तीर्थ स्थल श्री अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए शहर से श्रद्धालुओं का दल रवाना हुआ।

करीब 100 सदस्यीय श्रद्धालुओं का दल सोमवार को अध्यक्ष राम भरोस यादव के नेतृत्व में रवाना हुआ। यादव ने बताया कि सोमवार को श्रद्धालु शहर के रेलवे स्टेशन से मालवा ट्रेन से रवाना हुए। सभी श्रद्धालु पहले पहलगांव, चंदन बाड़ी पहुंचकर इस मार्ग से पवित्र बर्फानी शिवलिंग के दर्शन के लिए चढ़ाई शुरू करेंगे। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आया। अध्यक्ष यादव ने बताया कि विगत 11 सालों से मंडल के द्वारा श्रद्धालु जत्थे में शामिल होते है और पूरे उत्साह के साथ यात्रा करते है। लगभग दस दिनों के इस सफर में प्रतिदिन भजन और कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है। सोमवार को श्री अमरनाथ जी के दर्शन के लिए रवाना हुए सभी यात्रियों का ढोल ढमाकों के साथ पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान समाजसेवी अखिलेश राय, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, सनी महाजन, वार्ड पार्षद मुकेश मेवाडा, पार्षद दिलीप राठौड़ श्रद्धालु उपस्थित थे।

नगर के वार्ड 6 में कीचड़ व गंदगी से लोग परेशान

हरिभूमि न्यूज ⏭ जावर

नगर परिषद जावर के वार्ड 6 की एक कॉलोनी में पक्का रोड नहीं होने के कारण रहवासी कीचड़ से परेशान है। वार्ड वासियो ने बताया की पूर्व में कई बार मांग पत्र नगर परिषद जावर में दिया।

लेकिन कोई समस्या का निराकरण नही किया गया। वार्ड 6 जो थाना परिसर के समीप मुख्य मार्ग अंकित लोधी के मकान से जगन्नाथ सिंह पटेल के मकान तक सीसी रोड निर्माण कराने की मांग पूर्व में कई बार की जा चुकी है। वहीं

वार्डवासियों का कहना है कि कालोनी में जाने वाले रास्ते पर बारहमासी कीचड़ जमा रहता है। जिससे यहां के रहवासियों को आने जाने में कई परेशानियां उठाना पड़ती है। रास्ते में कीचड़ व गंदगी के कारण यहां बीमारियों का डर बना रहता है। इस समस्या को लेकर नगर के जनप्रतिनिधियों को भी कई बार अवगत कराया गया।

लेकिन जनप्रतिनिधियों ने भी इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया। रहवासियो का कहना है की इस रोड का सी सी रोड निर्माण जल्दी किया जाये और जब तक रोड बने तब तक तत्कालीन समस्या के लिये मुरहम डाली जानी चाहिए, ताकि आने जाने में कोई समस्या ना हो अब देखना यह है की खबर के बाद प्रशासन इन वार्ड वासियों की समस्या पर ध्यान देता की नहीं।

नपा के फायर चालक आशिम अली व लाइनमैन शिवचरण माली हुए सेवानिवृत्त

सेवानिवृत्त सम्मान पर खुशी और गम होता है: रायसिंह मेवाड़ा

हरिभूमि न्यूज ⏭ आष्टा

सेवानिवृत्ति जीवन का वह पड़ाव है जहां हम अपने काम की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर नई पारी की शुरुआत करते हैं। सेवानिवृत्ति एक ऐसा अवसर है जहाँ व्यक्ति को बोलने के लिए शब्दों की कमी पड़ जाती है, क्योंकि उस समय मन में अनेकानेक भावनाएं उमड़ती है। उस समय दोनों ख़ुशी के पल और दुखद क्षण व्यक्ति की आँखों के सामने छा जाते हैं। सेवानिवृत्ति विदाई समारोह का आयोजन अपनी सेवा से पृथक हो रहे कर्मचारी के काम या योगदान को पहचानने के लिए किया जाता है।

इस आशय के विचार नपाध्यक्ष प्रतिनिधि रायसिंह मेवाड़ा ने नपा के सभाकक्ष में आयोजित विदाई समारोह को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। ज्ञात रहे कि नगरपालिका में वर्षो से सेवा दे रहे फायर वाहन चालक सैय्यद आशिम अली एवं लाईनमेन शिवचरण माली के सेवा निवृत्त होने पर नपाध्यक्ष प्रतिनिधि रायसिंह मेवाड़ा के मुख्य आतिथ्य में एवं सीएमओ राजेश सक्सेना की अध्यक्षता में नपा के सभाकक्ष में दोनों सेवानिवृत्त कर्मचारियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। दोनों कर्मचारियों का नपाध्यक्ष प्रतिनिधि रायसिंह मेवाड़ा ने पुष्पमाला पहनाकर व शाल-श्रीफल भेंटकर सम्मान कर विदाई दी गई। इस अवसर पर नपाध्यक्ष प्रतिनिधि श्री

मेवाड़ा ने कहा कि आज हमें बहुत ही खुशी हो रही है, वहीं मन को गम भी है। खुशी इस बात की है कि परिवार के जुझारू, कर्तव्यपरायण पर पूरी निष्ठा से कार्य करने वाले आशिम अली व शिवचरण माली की सेवानिवृत्त पर उनका स्वागत सम्मान कर विदा दे रहे है, गम यह है कि इन दोनों जैसे कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी बिरलै ही मिलते है। ईश्वर से आपके दीर्घायु, शतायु व निरोगी काया की कामना करता हूं। हमारे नपा परिवार से दो सदस्य कम हुए है, किंतु यह ना समझे कि सेवा निवृत्त हो गए तो कार्यालय आना नही है, जहां जब आपकी आवश्यकता पड़ेगी आपको सेवा देना है। विदाई समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्य नगरपालिका अधिकारी राजेश सक्सेना ने कहा कि नगरपालिका के वरिष्ठ व कनिष्ठ कर्मचारी अलग न समझते हुए इस कार्यालय को अपने घर जैसा समझे व यहां कार्य करने वाले सभी अधिकारी एवं कर्मचारी परिवार की भांति है। सेवानिवृत्ति कर्मचारी की निश्चित व्यवस्था है। सही में यह एक दौर की शुरुआत है। सभी कर्मचारियों को इस दौर से गुजरना होता है। आप दोनों एक सच्चे व जिम्मेदार कर्मचारी रहे सेवानिवृत्ति से उपजी आपकी कमी हमेशा निकाय को खलेगी क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी का कुशलता से निर्वहन किया।

विदाई समारोह के दौरान आशिम अली एवं शिवचरण माली ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यहां के जनप्रतिनिधि, सभी कर्मचारी, नागरिक ने कामकाज के दौरान पूरा सहयोग दिया। यह यादें लेकर वे इस निकाय से जा रहे हैं। इस अवसर पर पार्षद हिफज्जुर्रहमान भैया मियां, रवि शर्मा, डॉ. सलीम खान, कमलेश जैन, अतीक कुरैशी, तारा कटारिया, सुभाष नामदेव, उपयंत्री पी.के. साहू, अनिल धुर्वे, सहायक लेखा अधिकारी यश कौशल, लेखापाल अनिरूद्ध नागर, स्थापना प्रभारी मनीष श्रीवास्तव, सुभाष सिसौदिया, मोहम्मद इसरार, कमरूद्दीन, नारायणसिंह सोलंकी, सीएमएम महेन्द्र पोसवाल, जगदीश वर्मा, राजेश दुबे, अजय द्विवेदी, शिवराज अहिरवार, गबू सोनी, सर्वेश भट्नागर, कैलाश घेंघट, शिव यादव, मनोहर विश्वकर्मा, फूलसिंह मालवीय, धरम वर्मा, मदनमोहन शर्मा, प्रमोद श्रीवास्तव, रमेश यादव, संजय शर्मा आदि द्वारा दोनों कर्मचारियों का स्वागत कर उन्हें विदाई दी गई।

अरिहंत पुरम में चातुर्मास के लिए श्रीफल किया भेंट

हरिभूमि न्यूज ⏭ आष्टा

आचार्य श्री विनम्र सागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य युगल मुनि श्री 108 विनत सागर जी महाराज और श्री मुनिश्री विश्वमित सागर महाराज को शनिवार को श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर अरिहंतपुरम अलीपुर आष्टा में वर्ष 2024 का चातुर्मास का लाभ देने हेतु विनती करते हुए श्रीफल भेंट किया। आष्टा समाज के प्रमुखों सहित अलीपुर मंदिर व्यवस्था समिति व समाज ने पूज्य मुनि श्रीजी को अरिहंत पुरम आष्टा मे चातुर्मास के लिए श्रीफल भेंट कर निवेदन किया गया की का चातुर्मास अरिहंत पुरम मे हो। इस अवसर पर श्री चंद्रप्रभ मंदिर समिति व मुनि सेवा समिति अरिहंत पुरम सहित समाज जन उपस्थित थे।

37 अरब से ज्यादा से बनने वाला ओवर हेड टैंक को हुए तय समय से 5 साल ज्यादा

पानी के टैंकरों के सहारे चल रहा है शहर, योजना अब तक नहीं हुई पूरी

कुरावर के आधे वार्डों में अभी तक नहीं पहुंची पाइप लाइन, जिनमें पहुंची उनमें भी वार्डवासी परेशान, टैंकर से पानी मंगाने को हैं मजबूर

हरिभूमि न्यूज ▶▶ ब्यावरा

मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की कार्यक्षमता और क्रियान्वयन को देखे तो समझ आ जाएगा की प्रदेश के अर्बन क्षेत्र किस गति से डेवलप किए जा रहे है। हालात यह है कुरावर में जल आर्वधन योजना का जो प्रोजेक्ट 37 अरब रुपए से भी ज्यादा का है वह भी तय समय से 5 साल देरी से चल रहा है। नगरवासियों की पेयजल समस्या को ध्यान में रखते हुए जिस प्रोजेक्ट पर इतना पैसा लगाया और जिस कार्य का प्रारंभ 4 अगस्त 2017 को शुरू हुआ था और जिसकी तय समय सीमा 850 दिन की थी परंतु आज तक पूरा नहीं हो पाया है जिसके कारण नगरवासी आज भी टैंकरों से पानी मंगाकर पानी की पूर्ति कर रहे है यह अलग बात है की पानी की इस आपूर्ति में नगरपालिका अपनी अहम भूमिका निभा रही है और वार्डों में टैंकरों से पानी की सप्लाई करवाई जा रही है।

2020 में पूरा होने वाला प्रोजक्ट आज भी अधूरा

नगर की पेयजल आपूर्ति के लिए जिम्मेदार एजेंसी एमपीयूडीसी जितनी जिम्मेदार है उतना ही रियान वॉटर टेंक प्रायवेट लिमिटेड भी है। 4 अगस्त 2017 से अच्छे उद्देश्य के साथ जिस 900 किलो लीटर ओवर हेड टेंक का निर्माण शुरू हुआ उसे फरवरी 2020 तक पूरा हो जाना था और नगरवासियों को 37 अरब के इस प्रोजेक्ट का लाभ मिलना चाहिए था परंतु आज तय समय से 5 साल ज्यादा होने के बाद भी नगरवासी वही पुराने ढर्रे पर ही अपना जीवन चला रहे है।

अभी भी आधे वार्डों में पाइप लाइन विछाने का काम है बांकी

सूत्रों बताते है कि कुरावर के 15 वार्डो में से आधे वार्डो में पाइन लाइन विछाने का काम हो पाया है। और जिन बार्डो में पाइप लाइन विछा दी गई है उनमें भी कई पाइप लाइन चॉक है जिसके कारण टेंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। इस बारे में जब प्रोजेक्ट को लीड कर रहे इंजीनियर राहुल समाधिया से बात करना चाही हो उनके पास कोई उत्तर नहीं था। धरातल पर 7 साल बाद भी नगरवासी परेशान ही नजर आ रहे है।

ठेकेदार कंपनी पर इतनी मेहरबानी क्यों ?

नगर के लिए जल आपूर्ति जैसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जिसको तय समय सीमा में पूरा नही किया गया अपितु 5 साल ज्यादा लगा दिए गए। ऐसे ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में क्यों नही डाला जाना चाहिए जिसको जनता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की समय सीमा ही समझ नहीं आती है।

इनका कहना है

कई वार्डों में पानी के टेंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। शहर के कई वार्डों में पाइपलाइन का काम अधूरा है इसको अर्बन डेवलपमेंट लीड कर रहा है

स्वेता सुमन, इंजीनियर नप कुरावर

श्मशान भूमि को लेकर माली समाज ने दिया ज्ञापन, मौके पर पहुंचे गए अफसर

मौके पर यथा स्थिति बनाए रखने के लिए निर्देश

हरिभूमि न्यूज ▶▶ सारंगपुर

समीप पढ़ाना कस्बे में सोमवार को माली समाज का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी शमशान भूमि को लेकर विशेष समुदाय के द्वारा श्मशान में छेड़छाडी करने को लेकर थाना प्रभारी सारंगपुर तथा तहसीलदार को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग करते हुए इकट्ठा हुए। जैसे ही इस मामले की जानकारी थाना प्रभारी एवं तहसीलदार को लगी तुरंत ही दोनों अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को बुलाकर मामले की बारीकी से जानकारी ली इसके बाद दोनों पक्षों को अपने अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए तथा जब तक कागज दोनों पक्षों के नहीं आते हैं तब तक उन लोगों को मौखिक रूप से निर्देश दिया की यथा स्थिति बनाए रखें किसी भी प्रकार की शांति भंग ना करें अगर किसी ने किसी तरह का कोई कार्य किया तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

इनका कहना है

पढ़ाना के माली समाज के द्वारा श्मशान भूमि को लेकर ज्ञापन दिया गया था तुरंत ही पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और यथा स्थिति रखने की निर्देश दिए।

मनोज शर्मा, तहसीलदार सारंगपुर

इनका कहना है

ग्रामीणों द्वारा श्मशान भूमि के संबंध में विज्ञापन दिया गया था ज्ञापन को संज्ञान में लेकर संबंधित पटवारी एवं तहसीलदार के साथ मौके पर पहुंचा और शांति बनाए रखने के लिए ग्रामीण को निर्देश दिए।

संतोष वाघेला, थाना प्रभारी सारंगपुर

4 साल से पदस्थ जनशिक्षकों को मूल संस्था भेजें

कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में शिक्षा विभाग को दिए निर्देश

राजगढ़। जिले में चार साल से अधिक समय से पदस्थ जनशिक्षकों को एक सप्ताह में जनशिक्षक पद से हटाकर मूल शाला में पदस्थ करें। शासन के निर्देशानुसार नए पात्र षिक्षकों को जनशिक्षक बनाया जाए। उक्त निर्देश कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने कलेक्टोरेट सभागार में सोमवार दोपहर आयोजित टीएल बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए। बैठक में उन्होंने सभी तहसीलदारो को निर्देशित किया कि नामांतरण, सीमांकन, बंटवारे के सभी प्रकरणों का एक सप्ताह में निराकरण करें। तहसीलदारों की कोर्ट में पेंडेंसी न रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। सभी सीएमओ एवं जनपद सीईओ को निर्देषित किया कि जो गौवंष गांव से शहरी सीमा एवं राजमार्गों पर आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था गोशाला में की जाए। यह देखें की हाईवे पर गोवंश न बैठे रहें। बैठक में उन्होंने मोहनपुरा बांध क्षेत्र में पौधरोपण के लिए जगह चिन्हित करने के भी निर्देश दिए। साथ ही जिले में सभी जगह प्लांटेशन के लिए स्थान निर्धारित करने हेतु भी कहा। सभी एसडीएम सुनिश्चित करें कि 30 जून के बाद मायनिंग का कार्य बंद करवा दिया गया है या नहीं। जिले में कहीं भी मायनिंग न हो।

नवीन अपराधिक कानून क्रिमिनल लॉ में तीन बड़े बदलाव किए

क्रिमिनल लॉ में हुए बदलाव के बारे में कार्यशाला में समझाइश दी गई

हरिभूमि न्यूज ▶▶ खुजनेर

खुजनेर थाना परिसर में कार्यशाला आयोजित कर देश के नवीन अपराधिक कानून क्रिमिनल लॉ में तीन बड़े बदलाव किए गए कानून के बारे में खुजनेर थाना प्रभारी अनिल राय द्वारा पुराने कानून और नए कानून का अंतर बताया गया क्रिमिनल लॉ में बड़ा बदलाव दंड की जगह मिलेगा न्याय 1860 की जगह लागू जल्द सुनवाई वाला कानून लागू क्रिमिनल लॉ में बहुत कुछ बदल गया बड़े तीन बदलाव हुए है उनमें 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता होगी 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह नागरिक न्याय सुरक्षा सहित 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारती साक्षी अधिनियम ले लेगी यह तीन ऑन नियम लागू के बाद कई नई धाराएं जुड़ जाएगी तो कुछ धाराओं में बदलाव भी किया गया है सीआरपीसी में जहां कुल 484 धारा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531धारा है आदि के बारे कार्यशाला में बताया गया जिसमे थाना प्रभारी अनिल राय ,पूर्व नप अध्यक्ष पंकज शर्मा नप उपाध्यक्ष बाबूलाल कुशवाह, पार्षद लोकेंद्र यादव ,दयाराम यादव डॉ विजेन्द्र नागर, नारायण प्रजापति,कांग्रेस ब्लाक अध्यक्ष रामगोपाल पाटीदार, गोपाल यादव सहित आमजन मौजूद थे।

तहसीलदार व टीआई ने धाराओं के बदलाव के बारे में बताया

माचलपुर। पुलिस द्वारा नगर के थाना परिसर में एक बैठक नायब तहसीलदार रामनिवास धाकड, टी आई अखिलेश वर्मा, सीएम ओ मनोज नामदेव,रामगोपाल खंडेलवाल, शिव मारू,बलवंत सिंह गुर्जर, कन्हेयालाल वर्मा वा अनिल मोदी की मौजूदगी में आयोजित हुई । बैठक में 1 जुलाई से लागू नए कानून की विस्तार से टी आई वर्मा ने उपस्थित लोगो को जानकारी दी । इस मौके पर टी आईउपस्थित लोगो को बताते हुये वर्मा ने कहा एफ आईआर के लिऐ भटकने की जरूरत नहीं होगी यदि आप अपराध घटित थाना क्षेत्र में नही है तो पास के किसी अन्य थाना क्षेत्र में जीरो पर एफ आई आर दर्ज करा सकते है । साथ ई एफ आई आर का प्रावधान भी नए कानून में है जैसे ई मेल व्हाट्सएप या फिर एम पी पुलिस की वेबसाइट पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज हो सकेगी । लेकिन तीन दिवस में थाने में जाकर दर्ज करवाना होगी साथ अन्य धाराओं में परिवर्तन की जानकारी दी साथ महिलाओं से जुड़ी घटनाओं के बारे में टी आई वर्मा ने बताया की यौन उत्पीडन के मामले में नए कानून के अनुसार पुलिस को सात दिवस में जांच पूरी करनी होगी । साथ पुलिस गवाहों की वीडियो आडियो रिकॉर्डिंग करेगी जिससे गवाह अदालत में अपने बयान नही बदल सके साथ वरिष्ठ नागरिक, नाबालिग वा महिलाओं के बयान घर पर रिश्तेदार या बताए अनुसार पुलिस को लेना होगा ।

नए कानून लागू होने पर थाना परिसर लोगों को जागरुक किया गया

एकता अखंडता सुरक्षा संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करना आतंकवाद की श्रेणी में होगा : एसडीओपी

हरिभूमि न्यूज ▶▶ सारंगपुर

भारत सरकार द्वारा अधिनियम बनाकर नया कानून लागू किया हैं जिसमें भारतीय न्याय संहिता सीआरपी की जगह नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस की जगह भारतीय साक्ष अधिनियम लागू किया हैं । पिछले वर्ष संसद में पास होकर कानून का रूप ले चुके ये नियम लागू हो गए हैं।

नए कानून के तहत आतंकवाद को विस्तार से परिभाषित किया गया हैं। अब जो भी भारत की एकता अखंडता संप्रभुता सुरक्षा आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है उसे आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया हैं। देश के बाहर भारत की किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचना भी आतंकवादी कृत माना जायेगा। उक्त बात नए कानून लागू होने पर स्थानीय थाना परिसर में आयोजित जन जागरूकता अभियान के दौरान एसडीओपी अरविंद्र सिंह ने कही और कहा की आईपीसी की धाराओं में निम्न बदलाव किया है। जिसमें हत्या की धारा 302 के स्थान पर धारा 103 हत्या का प्रयास धारा 307 के स्थान पर 109 गैर इरादन हत्या 304 के स्थान पर धारा 105 आदि विभिन्न धाराओं में बदलाव किया गया हैं। नए कानून लागू होने पर थाना प्रभारी संतोष बाघेला ने अन्य धाराओं का जिक्र करते हुए कहा की दहेज हत्या की धारा 304 बी की जगह धारा 80 तथा चोरी में 379 की जगह 303 वही दुष्कर्म 376 की धारा 64 , छेड़छाड़ 354 की जगह 374,धोखाधड़ी 420 के स्थान पर 318 पति द्वारा कृत्य की शिकार महिलाएं 498 के स्थान पर 85 लापरवाही से मौत धारा 304 के स्थान पर 106 आपराधिक षड्यंत्र 120 बी की धारा 61 वही देश के खिलाफ युद्ध पर धारा 121 ए के स्थान पर धारा 147,148 मानहानि 499,500 के स्थान पर 356 ,लूट 392 के स्थान पर 309, डकैती 395 की जगह 310 वही आईपीसी के धाराओं की संख्या 511 से घटाकर 358 की गई हैं। 20 नए अपराधो को जोड़ा गया हैं। कई अपराधो के लिए अनिवार्य सजा का प्रावधान किया गया हैं। छोटे छोटे अपराधो के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान के साथ अपराधो में जुर्माना एवं अवधि बड़ाई गई हैं। इस प्रकार कानून के बारे में पुलिस अधिकारियों ने उपस्थित जन समूह को अवगत कराया ।कार्यशाला के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल ने नए कानून को लेकर कानून की प्रशंसा करते हुए जनजागरण अभियान को लेकर संबोधित किया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश शर्मा,ओम पुष्पद ने भी अपने विचार रखें।इस अवसर पर पुलिस मीडिया सहित आमजन उपस्थित रहें।

थाना परिसर में पौधे लगाए

नया कानून अधिनियम लागू होने पर थाना परिसर में जनजागरूकता कार्यशाला के बाद उपस्थित अतिथियों द्वारा थाना परिसर में नीम,पीपल सहित पांच पौधे लगाए गए इस दौरान एसडीओपी अरविंद्र सिंह,थाना प्रभारी संतोष बाघेला,सतीश परमार,रवि शर्मा,कमल गुर्जर,सत्येंद्र सहित पत्रकार मौजूद थे।

हादसे में बाइक सवार की मौत

हरिभूमि न्यूज ▶▶ ग्यारसपुर

खंदा घाटी पर दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। शनिवार की रात 8:30 बजे बाइक सवार भागचंद साहू उम्र 52 वर्ष ग्यारसपुर से बगरोद चौराह की तरफ जा रहे थे। खंदा घाटी पर मेंन रोड पर खड़े ट्रक में बाइक घुस गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एक दिन पूर्व इसी ट्रक में एक दूसरा ट्रक घुस गया था। जिसमें एक ही परिवार के चार लोग गंभीर घायल हुए ।वहीं 22 वर्षीय युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ट्रक में चापड़ भरा है। घाटी पर ट्रक चढ़ते समय अनियंत्रित हो गया जिससे ट्रक घाटी नहीं चढ़ पाया और रास्ते में ही ट्रक को रोकना पड़ा। ट्रक रास्ते में रोड पर बाएं तरफ खड़ा था। जिसके चलते यह दोनों दुर्घटनाएं हुई हैं। जिसमें दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया है कि यदि ट्रक ड्राइवर या क्लीनर ट्रक के पीछे तरफ 15 से 20 फीट दूर सड़क पर पत्थर रखकर या कोई या संकेत खड़ा कर देते।

नियमितीकरण को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं का आंदोलन

सभी विभागों का काम हमसे करवाते हैं फिर भी हम नियमित नहीं

रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम नाम सौंपा मांगों का ज्ञापन

राजगढ़। विभिन्न आंगनबाड़ियों में पदस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने सोमवार को मुख्यालय पर जिला स्तरीय धरना एवं रैली का आयोजन किया। सभी की प्रमुख मांग थी कि उन्हें नियमित किया जाए। इसके साथ ही अन्य मांगों को लेकर इन महिला कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया।

धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ जिलाध्यक्ष सूर्यकिरण शर्मा, जिला सचिव पार्वती लहरी ने कहा कि शासन द्वारा हमसे न केवल हमारा बल्कि लगभग सभी विभागों का काम करवाया जा रहा है। चुनाव आते हैं तो हमसे काम करवाते हैं। स्वास्थ्य विभाग का कोई कार्यक्रम, योजना, टीकाकरण या ऐसा ही दूसरा काम रहे तो वह भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को सौंप दिया जाता है। हर विभाग और एजेंसी हमारा उपयोग करती है इसके बाद भी हमसे उपेक्षा करते हुए आज तक हमारे नियमितीकरकण की तरफ शासन ने सोचा तक नहीं है। सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख है कि एक ओर सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को स्कीम वर्कर हमारी सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरी ओर हमारे ऊपर कार्यवाही के एलि विभागीय अधिकारियों द्वारा सारे शासकीय नियम लागू कर दिए जाते हैं। हमारे बच्चों को शासन की कईं योजनाओं का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है।

कभी भी मांग लेते हैं कोई भी जानकारी

संघ की पदाधिकारियों ने कहा कि हम कहने को नौकरी कर रहे हैं लेकिन हमारे काम का समय निर्धारित नहीं है। कभी भी किसी भी समय हमसे कोई भी जानकारी मांग ली जाती है और कहीं भी हमारी ड्यूटी लगा दी जाती है। दूसरे विभाग के काम करने पर जरा भी गलती होती है कि हमें सेवा से पृथक कर दिया जाता है। जबकि, कुपोषण और शिशु मृत्यु दर रोकने जितना काम आंगनवाडी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने किया है उतना काम स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला भी नहीं कर पाया है।

शासन हमारी इन मांगों को माने

- संपर्क एप पर काम न कराया जाए।
- मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करें और केंद्र के आदेश के अनुसार 10 दिवस में की कार्रवाई की जाए।
- कार्यकर्ता पद पर सहायिकाओं की पदोन्नति में आयुसीमा का बंधन हटाया जाए।
- सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति में आयुसीमा का बंधन हटे।
- 11 जून 2023 वाले दुर्घटना बीमा आदेश को लागू करें।
- स्कूलों में प्रावि षिक्षकों की भर्ती में आआंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्राथमिकता दी जाए।